न्यायालय उप जिलाधिकारी, देवरिया

हीरामन सेवा संस्थान बनाम परमहंस आदि	वाद संख्या– 15 /2012 अन्तर्गत धारा–143 उ0 प्र0 ज0 वि0 अधि0 साकिन–महुआडीह, तप्पा–तप्पा–चरियाँव, परगना–सिलहट, तहसील व जिला–देवरिया।

प्रतिलिपि विभाग
कलेक्ट्रेट, देवरिया

आदेश

प्रस्तुत वाद उ0 प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत योजित कर कहा गया है कि वादी संख्या–2 ग्राम–महुआडीह, तप्पा–चरियाँव, परगना–सिलहट, तहसील व जिला–देवरिया के स्थाई निवासी है। वादी संख्या–2 विवादित आराजियात की प्रतियादीगण संख्या–1, ता 5 के साथ बगैर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में सहभूमिधर के हम वादी संख्या–2 ने विवादित आराजियात में आधे हिस्से का विक्रय विलेख वादी संख्या–1 हीरामन सेवा संस्थान के पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजीकरण करा दिया और विक्रय के अनुसार वादी संख्या–1 का कब्जा दखल भी विवादित आराजियात पर करा दिया। आराजी संख्या–771, 776, 777, 779 की जरिये पंजीकृत बैनामा प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में सहभूमिधर सरकारी अभिलेख में खतौनी में दर्ज हो चुका है। वादी संख्या–1 विवादित आराजियात पर अपना मकान निर्मित कर बतौर रिहायश व आबादी के रूप मे काबिज दखील चले आ रहे हैं। सरकारी अभिलेख के खतौनी में विवादित आराजिया?त कृषि रूप में दर्ज है। अन्त में कहा गया है कि आराजी संख्या–781 / 0.081, 776 / 0.101, 777मि / 0.213, 779मि / 0.606–2 / 3 कुल रकबा 1.001–2 / 3 हे0 भूमि को हीरामन सेवा संस्थान के पक्ष में अकृषिक भूमि घोषित करने की कृपा किया जाय।

मैंने वादी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद–पत्र के आधार पर तहसील से आख्या प्राप्त की गयी जिसमें इस बात का उल्लेख है कि "आराजी संख्या–771 रकबा 0.081 हे0, 776 रकबा 0.101 हे0, 777मि रकबा 0.213 हे0, 779मि0 रकबा 0.606–2 / 3 हे0 कुल रकबा 1.001–2 / 3 हे0 भूमि पर हीरामन सेवा संस्थान के नाम अभिलेख में अंकित है। उक्त भूमि पर विद्यालय निर्मित है जो अकृषिक है।" उक्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त रकबे को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नही प्रतीत होती है।

Scanned with CamScanner

अतः ग्राम–गहुआडीह, टप्पा–चरियाँव, परगना–सिलहट, तहसील व जिला–देवरिया के आराजी संख्या–771 रकबा 0.081 है0, 776 रकबा 0.101 है0, 777मि रकबा 0.213 है0, 779मि0 रकबा 0.606–2/3 है0 कुल रकबा 1.001–2/3 है0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 26/12/12

प्रतिलिपि विभाग
कलेक्ट्रेट, देवरिया

(डी0 के0 गुप्ता)
उप जिलाधिकारी
देवरिया

प्रतिलिपि प्रमाणित
राजस्व अभिलेखपाल-देवरिया